उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-64/2015/2321/92-1-2015-89(जॉच)/2014,
दिनांक: लखनऊ: 17 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-10 के पैकेज संख्या-यू.पी.13125, यू.पी.13126 एवं यू.पी.13131 के लिए अनुबन्ध गठन हेतु ठेकेदारों/फर्मों द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर, सत्यापन कार्य में असाधारण विलम्ब कर, शासकीय कार्यों में स्वेच्छाचारिता बरतने आदि अनियमितताओं के लिए श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/5416/92-2014-89जॉच/2014, दिनांक 12-01-2015 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उन्हें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किये जाने तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-9/5339/92-2014-89जॉच/2014, दिनांक 12-01-2015 द्वारा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

2- श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी के निलम्बित रहते हुए तीन माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने एवं उनके विरूद्ध प्रचलित विषयगत जॉच कार्यवाही पूर्ण होने में समय लगने की संभावना तथा विभाग में सहायक अभियंताओं की कमी के दृष्टिगत सम्यक रूप से विचारोपरान्त श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी सम्प्रति कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से सम्बद्ध, का निलम्बन समाप्त कर बहाल किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति, इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि श्री अशोक के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक/विभागीय जॉच कार्यवाही यथावत् चलती रहेगी एवं उनकी नियमित तैनाती के संबंध में बाद में विचार किया जायेगा।

3- श्री अशोक, कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में ही पूर्ववत् सम्बद्ध रहेंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-64/2015/2321(1)/92-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री अशोक, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (संबद्ध कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।